**बिहार सरकार**

**परिवहन विभाग**

**पत्रांकः-संचिका संख्या-01/निर्वा.-07-05/2014** 3799

महत्वपूर्ण,
फैक्स,
ई-मेल,
निबंधित

प्रेषक,

अरूण कुमार प्रसाद,
सरकार के अपर सचिव,

सेवा में,

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-
जिला पदाधिकारी, बिहार ।

03/08/2015

**विषयः-लोक सभा आम निर्वाचन-2014 के अवसर पर अधिगृहित वाहनों का पूर्ण मुआवजा राशि का भुगतान करते हुए निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के वेवसाईट पर अंतिम रूप से संधारित करने के संबंध में ।**

प्रसंगः-पत्र सं. 1113 दिनांक 03.03.2015 एवं 1178 दिनांक 11.03.2015

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय से संबंधित मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक-600 दिनांक 19.02.2015 का कृपया सन्दर्भ किया जाय । इस पत्र में विगत लोकसभा चुनाव-2014 के अवसर पर अधिगृहित वाहनों का मुआवजा भुगतान नहीं होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय में दायर किये गये वाद के संदर्भ में यह निदेश दिया गया था कि मुआवजा का भुगतान दिनांक 16.02.2015 तक निश्चित रूप से करते हुए इसकी सूचना निर्वाचन विभाग, गृह विभाग एवं परिवहन विभाग को इस आशय के प्रमाण पत्र के साथ भेजना सुनिश्चित करेंगे कि निर्वाचन के अवसर पर अधिगृहित किसी भी वाहन का मुआवजा भुगतान लंबित नहीं है। साथ ही इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने का अनुरोध किया गया था ।

इस सन्दर्भ में परिवहन विभाग के पत्रांक-1113 दिनांक 03.03.2015 एवं पत्रांक-1178 दिनांक 11.03.2015 द्वारा मुआवजे का भुगतान दिनांक 16.03.2015 तक सुनिश्चित किये जाने से संबंधित प्रतिवेदन निर्वाचन विभाग एवं परिवहन विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था ।

निर्वाचन विभाग के मुआवजा भुगतान से संबंधित बेवसाईट(VTS) के अवलोकन से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि राज्य के सभी जिलों में मुआवजे का भुगतान पूर्णतः नहीं किया जा सका है । मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना द्वारा आवंटन दिये जाने के वावजूद भी मुआवजे राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किये जाने के कारण उनके अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना द्वारा अप्रसन्ता व्यक्त की गई है । आप अवगत है कि बिहार विधान सभा निर्वाचन सन्निकट है, इसमें भी वाहनों को अधिगृहित करने की आवश्यकता होगी ।

अतः अनुरोध है कि मुख्य सचिव, बिहार द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन दिनांक 10.08.2015 तक निश्चित रूप से किया जाना है । सम्बन्धित मुआवजे की राशि के भुगतान लंबित नहीं रहने संबंधी प्रमाण पत्र निर्वाचन विभाग एवं परिवहन विभाग, बिहार, पटना को अविलम्ब उपलब्ध कराने कृपा की जाय । साथ ही अनुपालन से संबंधित सूचना निर्वाचन विभाग के संबंधित बेवसाईट पर डालना सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन,

अपर सचिव
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।